[2019] 14 एस. सी. आर 659

महान मुंबई का नगरपालिका निगम (एम. सी. जी. एम.)

वी.

अभिलाष लाल और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 6350)

नवंबर 15,2019

[अरुण मिश्रा, वाइन सरन और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888-एस. 92 और 92 ए-अपीलकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ, विचाराधीन भूमि का मालिक है-दिनांक 20.12.2005 के अनुबंध द्वारा, एक 'एसएचसीएल' इन भूमि को विकसित करने के लिए सहमत हुआ (

इसे पट्टे पर दिया गया) और 1500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण-निर्माण 60 महीनों में पूरा किया जाना था (मानसून को छोड़कर) जो 24.04.2013 पर समाप्त हुआ-पट्टे के विलेख को निर्माण के बाद निष्पादित किया जाना था

परियोजना का पूरा होना-परियोजना अवधि के भीतर पूरी नहीं हुई

' एस. एच. सी. एल. को वार्षिक दर पर पट्टा किराया देना पड़ता था

-

10,41,04,000 / - -अपीलार्थी द्वारा भुगतान में कथित चूक-अनुबंध का प्रस्ताव करते हुए 23.01.2018 पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया

समाप्ति-एक्सिस बैंक द्वारा भी दिवालिया कार्यवाही शुरू की गई

चूंकि 'एस. एच. सी. एल.' अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ था-अपीलकर्ता के कारण दिखाएं नोटिस द्वारा दी गई अवधि समाप्त होने से पहले, याचिका को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), हैदराबाद पीठ द्वारा स्वीकार किया गया था-पहले प्रतिवादी को समाधान पेशेवर (आर. पी.) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.) द्वारा अनुमोदित किया गया था-प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर. एफ. पी.) की शर्तें, मूल्यांकन के लिए मानदंड (प्राप्त आर. एफ. पी.) अनुमोदित-एक 'एस. एन. एम. सी.' द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना-आर. पी. द्वारा प्रस्तुत संशोधित आर. एफ. पी.-सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित संशोधित समाधान योजना-अपीलकर्ता ने समाधान योजना का विरोध किया-एन. सी. एल. टी. और अपीलीय न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुमोदित योजना-आयोजित: समाधान योजना

पूंजी के विचारशील निवेश और पूंजी को सुरक्षित करने के तरीकों में से एक भूमि को गिरवी रखना था-अनुबंध में निर्धारित स्पष्ट शर्तों को देखते हुए, अपीलार्थी ने अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखे और इस प्रकार, उसकी संपत्तियां किसी भी तरह से, समाधान योजना से प्रभावित नहीं हो सकती थीं-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसा नहीं कर सकता था।

उस योजना को मंजूरी दी जो अपीलार्थी की परिसंपत्तियों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से जब 'एसएचसीएल' ने अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था-इसके अलावा, समाधान योजना को निगम द्वारा कभी भी मंजूरी नहीं दी गई थी-साथ ही, s.238, IBC को ओवरराइडिंग के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी का अधिकार-वास्तव में उसकी संपत्तियों से कैसे निपटा जाए, इसे नियंत्रित और विनियमित करना उसका सार्वजनिक कर्तव्य है-जो एस. एस. में मौजूद है। 92 , 92 ए - s.238, आई. बी. सी. तब महत्वपूर्ण हो सकता है जब संपत्ति और परिसंपत्तियां देनदार की हों, न कि जब अपीलार्थी जैसा कोई तीसरा पक्ष शामिल हो।

इसलिए, एस. एस. के संदर्भ में अनुमोदन के अभाव में। 92 & 92 ए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अपीलार्थी की याचिका को ओवरराइड नहीं कर सकता था

आपत्तियाँ और अपनी संपत्तियों और भूमि के संबंध में नए हित के निर्माण को सक्षम बनाया-संहिता के तहत प्राधिकरण इस नियंत्रण को रोक नहीं सकते थे कि अपीलार्थी के पास, कानून के तहत, अपनी संपत्तियों और विचाराधीन भूमि से निपटने के लिए नियंत्रण है, जो निर्विवाद रूप से सार्वजनिक संपत्तियां हैं-इसलिए समाधान योजना, अपीलार्थी की स्वतंत्र योजनाओं के लिए गंभीर बाधा होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उसके द्वारा चुने गए तरीके से विकसित किया गया है, और जिसके लिए एम. एम. सी. अधिनियम के तहत नए सिरे से अनुमोदन उसके द्वारा तैयार की गई एक अलग योजना के लिए आ सकता है-विवादित आदेश और आदेश एन. सी. एल. टी. का, अलग रखा गया-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-- s.238 और ss. 14 (1) (घ), 22,30 (2), 31,62-क़ानूनों की व्याख्या-आईबीबीआई (सीआईआरपी) विनियम, 2016-विनियम 37,38,38 (आईए) और

39 (4) .

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-दिवाला प्रक्रिया के उद्देश्य पर चर्चा की गई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - s.238-का दायरा

चर्चा की।

-

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. वर्तमान मामले में, मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (एम. एम. सी. अधिनियम) की धारा 92 का इस पर कोई प्रभाव नहीं है।

समाधान योजना, अनुमोदन आदेश या विवादित आदेश की वैधता। एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 आदेश देती है और

अपीलार्थी की भूमि का निपटान किस तरीके से किया जाएगा, यह निर्धारित करता है। हालाँकि, समाधान योजना में उक्त भूमि के किसी भी निपटान या अपीलार्थी या निगमित के किसी भी अतिरिक्त अधिकारों और दायित्वों के निर्माण पर विचार नहीं किया गया है। भूमि के संबंध में देनदार। यह केवल हिस्सेदारी है

निगमित देनदार जो समाधान योजना के अनुसार परिवर्तन से गुजरता है। अपीलार्थी संहिता के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर ऐसे शेयरधारिता परिवर्तनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। एक द्वारा पसंद किए गए दिवालिया आवेदन के प्रवेश पर

वित्तीय लेनदार/परिचालन लेनदार, एक अधिस्थगन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एमसीजीएम) v घोषित किया जाता है।

अभिलाष लाल और ओआरएस।

उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही जारी रखने और शुरू करने पर

कर्जदार। एन. सी. एल. टी. एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) की नियुक्ति करता है। यह रोक दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक चलती है, जिसे कानून द्वारा एक अनिवार्य समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अधिस्थगन अवधि के दौरान, देनदार किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित, बोझिल या बेच नहीं सकता है। आई. आर. पी. की नियुक्ति पर निदेशक मंडल

निलंबित किया जाता है और प्रबंधन आई. आर. पी. के साथ निहित होता है। इन पेशेवरों (आई. आर. पी.) को दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करना होता है, कंपनी की परिसंपत्तियों और प्रबंधन को संभालना होता है, जानकारी एकत्र करने में लेनदारों की सहायता करनी होती है और ऋण प्रक्रिया का प्रबंधन करना होता है। दिवाला समाधान प्रक्रिया। आई. आर. पी. का कार्यकाल तब तक जारी रहता है जब तक कि धारा 22 के तहत आर. पी. की नियुक्ति नहीं हो जाती। आई. आर. पी. को पहले परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन के बारे में जानकारी संग्रह के माध्यम से देनदार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना होता है। जानकारी में संचालन, भुगतान, परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची से संबंधित डेटा शामिल हो सकता है। आई. आर. पी. को आगे लेनदारों द्वारा प्रस्तुत दावों को प्राप्त करना और उनका मिलान करना होता है। एन. सी. एल. टी. द्वारा चयनित आर. पी. को ऋणदाताओं की एक समिति (सी. ओ. सी.) का गठन करना होता है जिसमें निगमित ऋणदाता के सभी वित्तीय ऋणदाता शामिल होते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य ऋणदाताओं को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के बजाय दिवाला समाधान की दिशा में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना है। प्रक्रिया के प्रमुख निर्णयों और अंततः अंतिम रूप दी जाने वाली योजना को सी. ओ. सी. द्वारा इस संतुष्टि पर अनुमोदित किया जाना है कि सबसे स्वीकार्य योजना के प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बकाया का भुगतान किया जाए। [पैरा 24,26 और 27] [674-ए-सी-ई-एच; 675-ए बी]

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

योजना बनाएँ। एक उपयुक्त रूप से संरचित योजना अपने वित्तीय मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद देनदार की बकाया देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए प्रदान करेगी, साथ ही एक चालू चिंता के रूप में इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करेगी। समाधान योजना में अनिवार्य रूप से पुनर्भुगतान का प्रावधान होना चाहिए प्रचालन लेनदारों के ऋण का इस तरह से कि यह देय राशि से कम नहीं होगा, यदि देनदार को संहिता की धारा 30 (2) के अनुसार परिसमापन किया जाता है। साथ ही, योजना को दिवाला [2019] 14 एस. सी. आर. के पुनर्भुगतान के तरीके की पहचान करनी चाहिए।

3.1 दिवाला समाधान प्रक्रिया को स्वीकार करने से पहले इस मामले में कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। स्पष्ट रूप से अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखे और इसलिए उसकी संपत्तियां किसी भी तरह से समाधान योजना से प्रभावित नहीं हो सकती थीं। समान रूप से इस न्यायालय की राय में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उस योजना को मंजूरी नहीं दे सकता था जो एमसीजीएम की परिसंपत्तियों को निहित करती है, विशेष रूप से जब सेवन हिल्स ने अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था। [पैरा 33] [683-डी-ई]

3.2 एस. एन. एम. सी. की प्रस्तावित दिवाला योजना ने एक तरफ एमसीजीएम की देनदारियों के परिसमापन के लिए कोई संदेह नहीं दिया

102 करोड़ (बाद में संशोधित होकर 140 करोड़ से अधिक)। हालांकि, समाधान योजना के प्रावधान स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूंजी के निवेश पर विचार किया। पूंजी सुरक्षित करने के लिए योजना में वर्णित तरीकों में से एक था

जमीन को गिरवी रखना। शुरू में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस. एन. एम. सी. ने सेवनहिल्स के स्थान पर कदम रखा और अपना नियंत्रण संभाल लिया। निगम ने

पुनर्गठन एस. एन. एम. सी. द्वारा कंपनी के परिसमापन को संभालने का एक तरीका था क्योंकि यह न केवल शेयरों और ऋणों के परिसमापन के साथ सेवन हिल्स की परियोजना थी, बल्कि यदि आवश्यक हो तो कंपनी की देनदारियों का पुनर्गठन भी था, नए ऋण बनाकर और भूमि को बंधक बनाकर जो सीधे एमसीजीएम को प्रभावित करता था। धारा 92 स्पष्ट रूप से उस विधि को निर्धारित करती है जिसके द्वारा एमसीजीएम

संपत्तियों को पट्टे के माध्यम से या किसी अन्य ब्याज के सृजन के माध्यम से निपटाया जा सकता है। एकमात्र अनुमति प्राप्त तरीका निगम की पूर्व अनुमति के माध्यम से है। समाधान योजना को निगम द्वारा कभी भी मंजूरी नहीं दी गई और इसे मतदान के लिए रखा गया। आर. पी. और सी. ओ. सी. सहित चुनाव लड़ने वाले पक्ष यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी इंगित करने में असमर्थ थे कि धारा 92 द्वारा विचार की गई एक वैध अनुमति कभी भी प्राप्त की गई थी।

समाधान योजना में प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए। प्रस्ताव को एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित किया गया था और एम. सी. जी. एम. की अपील को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रस्ताव को केवल उस हद तक मंजूरी दी जा सकती थी जब तक कि यह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एमसीजीएम) v.

अभिलाष लाल और ओआरएस।

इसके परिणामस्वरूप एम. सी. जी. एम. की भूमि पर बोझ नहीं पड़ा। धारा 92 (सी) के एक सादे पाठ से यह स्पष्ट है कि आयुक्त (एमसीजीएम के) को निगम की मंजूरी के साथ, "पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा किसी भी प्रकार की जानकारी देने" का अधिकार है।

निगम की अचल संपत्ति "। यह विवाद में नहीं है कि 20-12-2005 पर किए गए मूल अनुबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने पर विचार किया गया था, सबसे पहले, एक के भीतर अस्पताल परियोजना को पूरा करना

समय सीमा; और दूसरा, वार्षिक पट्टे के किराए का समय पर भुगतान। यह रिकॉर्ड की बात है कि अस्पताल परियोजना 24 अप्रैल, 2013 तक पूरी होने वाली थी। एमसीजीएम अनुबंध के खंड 15 (जी) का हवाला देते हुए आग्रह करता है कि इस घटना के एक महीने के भीतर, यानी अस्पताल के पूरा होने पर, एक पट्टा विलेख निष्पादित करना पड़ा। यह घटना कभी नहीं हुई। इसलिए, अनुबंध की शर्तें, अदालत की राय में, पट्टे में प्रवेश करने के लिए एक समझौता बनी रहीं; यह अपने आप में कोई अधिकार या ब्याज प्रदान नहीं करता था, सिवाय इसके कि एमसीजीएम द्वारा पट्टे को पंजीकृत करने में विफलता या चूक की स्थिति में (यदि सेवनहिल्स ने अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन किया था), तो उस पर समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था, और पट्टे के विलेख को निष्पादित करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। वह घटना

ऐसा नहीं हुआ; सेवन हिल्स ने 1600 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं किया। जाहिरा तौर पर, इसने अपनी प्रतिबद्धता को भी पूरा नहीं किया, या वार्षिक पट्टे के किराए का भुगतान नहीं किया। इन परिस्थितियों में, एम. सी. जी. एम. को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले और 13 मार्च, 2018 को एन. सी. एल. टी. द्वारा अधिस्थगन घोषित किए जाने से पहले कारणदर्शक नोटिस जारी करने के लिए विवश किया गया था। एमसीजीएम के अनुसार, खंड 26 (अनुबंध के) के संदर्भ में, यहां तक कि समझौता भी सेवनहिल्स द्वारा चूक के कारण समाप्त हो गया था। यह अदालत उस मुद्दे पर टिप्पणी करने का प्रस्ताव नहीं करती है, क्योंकि यह विवादास्पद है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। यह सिद्धांत कि यदि किसी क़ानून में किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता है, तो इसे उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं, जिसे नजीर अहमद बनाम में व्यक्त किया गया है। सम्राट, ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 को व्यापक स्वीकृति मिली है। इस मामले के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि यदि एमसीजीएम की संपत्तियों के संबंध में अलगाव या किसी भी हित का सृजन किया जाता है

कानून में एक विशेष तरीके से विचार किया गया है, उस लक्षय को केवल निर्धारित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या बिल्कुल नहीं। [पारस 34-36,39] [683-एफ-एच; 684-ए-एच; 688-एफ-जी] [2019] 14 एससीआर।

राम सिंह विजय पाल सिंह और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (2007) 6 एस. सी. सी. 44: [2007] 5 एससीआर 1060; एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य और अन्य।

(2018) 3 एस. सी. सी. 750-पर निर्भर था।

सरोज स्क्रीन्स प्रा. लिमिटेड बनाम घनश्याम और अन्य। (2012) 11 एससीसी 434: [2012] 5 एस. सी. आर. 141-संदर्भित।

नजीर अहमद बनाम। सम्राट, ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253-संदर्भित

को।

3.3 इस न्यायालय के समक्ष एम. सी. जी. एम. द्वारा अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह भी पता चलता है कि निगम द्वारा 14 दिसंबर, 2018 को आयोजित बैठक में एस. एन. एम. सी. द्वारा दिए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है कि तीन सदस्य अपने विचार में सर्वसम्मत थे कि चूंकि सेवनहिल्स ने शर्तों का पालन नहीं किया था और यहां तक कि बंधक द्वारा संपत्ति को बोझ डालने की भी मांग की थी, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी एस. एन. एम. सी. को भूखंड को लेने और अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। [पैरा 41] [689-एच; 690-ए]

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन बनाम जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 227: [2018] 14 एस. सी. आर. 926; डंकन्स इंडस्ट्रीज बनाम। ए. जे. एग्रोकेम (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन (एससी) 1319; मैक्वायर बैंक लिमिटेड बनाम शिलिपी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 674 [2017] 13 एस. सी. आर. 751; धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य। (2019) 5 एससीसी

480 पर भरोसा किया।

4. धारा 238, को एम. सी. जी. एम. के अधिकार पर हावी होने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है- वास्तव में इसका सार्वजनिक कर्तव्य यह है कि इसे कैसे नियंत्रित और विनियमित किया जाए।

संपत्तियों से निपटा जाना चाहिए। यह एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 और 92 ए में मौजूद है। इस अदालत की राय है कि धारा 238 तब महत्वपूर्ण हो सकती है जब संपत्ति और परिसंपत्तियां देनदार की हों, न कि जब एमसीजीएम जैसा कोई तीसरा पक्ष शामिल हो। इसलिए, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 और 92 ए के संदर्भ में अनुमोदन के अभाव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एम. सी. जी. एम. की आपत्तियों को खारिज नहीं कर सकता था और इसकी संपत्तियों और भूमि के संबंध में एक नए

हित के निर्माण को सक्षम कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाधान योजना एमसीजीएम की मंजूरी लेने की बात करती है; वे कॉर्पोरेट देनदार की देनदारियों को भी स्वीकार करते हैं; समान रूप से, हालांकि, ऐसे प्रस्ताव हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एमसीजीएम) v के निर्माण की कल्पना करते हैं।

अभिलाष लाल और ओआरएस।

एम. सी. जी. एम. की संपत्तियों के संबंध में प्रभार या प्रतिभूतियाँ।

निर्विवाद रूप से सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं। इसलिए समाधान योजना एमसीजीएम की स्वतंत्र योजनाओं के लिए एक गंभीर बाधा होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनी पसंद के तरीके से विकसित किया जाए, और जिसके लिए उस निगम (एम. सी. जी. एम.) द्वारा तैयार की गई एक अलग योजना के लिए एम. एम. सी. अधिनियम के तहत नई मंजूरी मिल सकती है। कानून के अनुसार योजना के लिए कोई अनुमोदन नहीं है; ऐसी परिस्थितियों में, एक वकील या अन्य प्रतिनिधि द्वारा योजना को स्वीकार करने वाली लिखित याचिका, जिसके पास एमसीजीएम को बाध्य करने की शक्ति नहीं है,

अनिर्णायक। इस संबंध में, न्यायालय इस सर्वविदित सिद्धांत पर ध्यान देता है कि कानून के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। आक्षेपित आदेश और आदेश

एन. सी. एल. टी. खड़ा नहीं हो सकता; उन्हें अलग कर दिया जाता है। [पैरा 47-49] [693-H; 694 E-H]

कासिंका ट्रेडिंग बनाम। भारत संघ (1995) 1 एससीसी

274 : [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 448; दर्शन ऑयल (पी) लिमिटेड।

वी. भारत संघ (1995) 1 एससीसी 345: [1994] 5 पूरक। एस. सी. आर. 278; श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम। भारत संघ

(1997) 3 एससीसी 398: [1996] 10 पूरक। एससीआर 888; श्री

सिधबली स्टील्स लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 3 एस. सी. सी

193 : [2011] 3 एस. सी. आर. 134; पप्पु मिठाई और बिस्कुट

वी. कॉम. व्यापार कर, उत्तर प्रदेश (1998) 7 एस. सी. सी. 228: [1998]

2 पूरक। एस. सी. आर. 119; कॉम. सीमा शुल्क बनाम। दिलीप कुमार & कं. (2018) 9 एस. सी. सी. 1: [2018] 7 एससीआर 1191-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 5 एससीआर 1060

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

(2018) 3 एससीसी 750

उस पर भरोसा करें

पै

रा 38

[2012] 5 एससीआर 141

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

आकाशवाणी 1936 पी. सी. 253

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2018] 14 एससीआर 926

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

[2017] 13 एससीआर 751

उस पर भरोसा करें

5 एससीसी 480

(2019)

उस पर भरोसा करें

पै

रा 46

[1994] 4 पूरक। एससीआर 448

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1994] 5 पूरक। एससीआर 278

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1996] 10 पूरक। एससीआर 888

पै

रा 48

संदर्भित किया गया है

[2011] 3 एससीआर 134

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1998] 2 पूरक। एससीआर 119

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[2018] 7 एससीआर 1191

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 6350

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 07.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 808 में कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

नीरज किशन कौल, हुज़ेफा अहमदी, सिद्धार्थ भटनागर, सी. ए.

सुंदरम, पी. एस. नरसिम्हा, रामजी श्रीनिवासन, मनिंदर सिंह, के. वी. विश्वनाथन, Sr.Advs। , प्रल्हाद परांजपे, सुश्री स्नेहा प्रभु, सुश्री पल्लवी प्रताप, वरुण माथुर, सुश्री नीमा, सुश्री दिव्या कपूर,

दिव्यांशु श्रीवास्तव, (मेसर्स के लिए। प्रताप एंड कंपनी,) सिद्धार्थ रानाडे, सुश्री प्रेरणा प्रियदर्शिनी, सुश्री शिवानी रावत, सुश्री प्रियश्री शर्मा पीएच, सुप्रियो रंजन महापात्रा, राहुल जी. तनवानी, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल। , सुश्री अदिति त्रिपाठी, शुभ्रा चक्रवर्ती, कमलेंद्र सिंह, वृंदा बगारिया, प्रभाश बजाज, सुश्री सिलोना (मेसर्स के लिए)। ज्यूरिस कार्पोरेशन), सुश्री रचना जैन, समीरन बोरकटकी, सुश्री नित्या चड्ढा, सुश्री कृतिका अंगिरीश, अपूर्व सिंघल, गगन गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. बृहन्मुंबई नगर निगम (इसके बाद

“ एम. सी. जी. एम.) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 62 (इसके बाद "आई. बी. सी". या "संहिता") के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद विभिन्न प्रकार से) के आदेश के खिलाफ अपील करता है।

" एन. सी. एल. ए. टी. "और" अपीलीय न्यायाधिकरण "), इस संबंध में अपनी याचिका को खारिज करते हुए

उस संहिता के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एन. सी. एल. टी".) द्वारा अनुमोदित एक समाधान योजना के लिए।

2. एमसीजीएम अन्य बातों के साथ-साथ प्लॉट संख्या का मालिक है। 155-156 , 162 और 168 (सभी)

गाँव मारोल, अंधेरी (पूर्व) में भूखंड जिन्हें बाद में "भूमि" कहा जाता है।

बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम (एम. सी. जी. एम.) v. अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

मुंबई। एक अनुबंध (दिनांक 20 दिसंबर, 2005) सेवनहिल्स हेल्थकेयर (पी.) लिमिटेड (दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही कंपनी) द्वारा,

इसके बाद "सेवन हिल्स") ने इन भूमि को विकसित करने (जिसे 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाना था) और 1500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की। एम. सी. जी. एम. ने कई शर्तें निर्धारित कीं, जिनमें 20 प्रतिशत बिस्तरों की व्यवस्था भी शामिल थी।

आर्थिक रूप से वंचित लोगों के उपयोग के लिए आरक्षित, और सेवन हिल्स को 60 महीनों (मानसून को छोड़कर) में निर्माण पूरा करना था। साठ महीने की अवधि 24 अप्रैल, 2013 को समाप्त हुई; लेकिन परियोजना पूरी नहीं हुई थी। खंड 15 (छ) के संदर्भ में पट्टा विलेख को पूरा होने के एक महीने के भीतर निष्पादित किया जाना था। हालांकि, परियोजना पूरी नहीं होने के कारण विलेख को निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सेवनहिल्स को 10,41,04,000 की वार्षिक दर पर पट्टे का किराया देना पड़ता था। एम. जी. सी. एम. का आरोप है कि इन भुगतानों में चूक हुई थी। इन परिस्थितियों में, एम. सी. जी. एम. ने अनुबंध/समझौते को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हुए 23 जनवरी, 2018 को एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सेवनहिल्स पर एमसीजीएम का '76,05,07,780 की राशि बकाया है।

3. अनुबंध के बल पर सेवन हिल्स ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लिया था। इसने सुरक्षा के माध्यम से बनाया था

खंड 5 का हवाला देते हुए उक्त भूमि का बंधक, जिसने निर्माण को सक्षम बनाया

इस तरह की बाधाओं से। सेवनहिल्स की अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थता के कारण एक्सिस बैंक द्वारा दिवालिया कार्यवाही शुरू की गई। 13 मार्च, 2018 को, एमसीजीएम के कारण दर्शाओ नोटिस द्वारा दी गई अवधि समाप्त होने से पहले, याचिका (सीपी (आईबी) संख्या 282/7/एचबीडी/2017) को एनसीएलटी की हैदराबाद पीठ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पहला उत्तरदाता नियुक्त किया गया था

समाधान पेशेवर के रूप में (इसके बाद "आरपी"); इसे द्वारा अनुमोदित किया गया था

12 अप्रैल, 2018 को संहिता द्वारा आवश्यक लेनदारों की समिति ("सी. ओ. सी".)। रुचि की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रकाशन ("ईओपी") जारी किया गया था।

14 मई, 2018 को; बाद में, 25 जून, 2018 और 16 जुलाई, 2018 को, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर. एफ. पी.) की शर्तें और मूल्यांकन के लिए मानदंड (आर. एफ. पी. के)

प्राप्त किया गया) स्वीकृत किया गया। प्रकाशित आर. एफ. पी. के परिणामस्वरूप, डॉ. शेट्टी के नए चिकित्सा केंद्र ("एस. एन. एम. सी".) द्वारा एक समाधान योजना प्रस्तुत की गई थी। सी. ओ. सी. के

साथ चर्चा के बाद, आर. पी. द्वारा एक संशोधित आर. एफ. पी. प्रस्तुत की गई। संशोधित समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा 4 सितंबर, 2018 को मंजूरी दी गई थी।

4. समाधान योजना में एस. एन. एम. सी. द्वारा 1000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान लगाया गया है। वह राशि उधार ली जानी थी; इस उद्देश्य के लिए,

सेवन हिल्स की संपत्तियों-चल और अचल, को क्रमशः अनुमान और बंधक द्वारा सुरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया था।

लेनदारों को 75 प्रतिशत की सीमा तक भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, योजना ने एमसीजीएम को उसके कुल दावे के मुकाबले 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव किया, और सेवन हिल्स द्वारा किए गए समझौते की शर्तों का सम्मान करने और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को 20 प्रतिशत बिस्तर (अस्पताल का निर्माण) प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया। एस. एन. एम. सी. द्वारा प्रस्तुत निवल मूल्य प्रमाण पत्र से संकेत मिलता है कि उसके पास पर्याप्त धन है।

5. एम. सी. जी. एम. ने एक आवेदन (आई. ए. सं. 207/2018) दायर किया जिसमें दावा किया गया कि इसे वित्तीय लेनदार और वित्तीय ऋणदाता का सदस्य घोषित किया जाना चाहिए।

निगम। यह भी कहा गया कि 23 जनवरी, 2018 को एमसीजीएम द्वारा अनुबंध (सेवन हिल्स के साथ) को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हुए कारण दर्शाओ नोटिस ("एससीएन") पहले ही जारी कर दिया गया था, जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी और पट्टे के अभाव में संहिता की धारा 14 (1) (डी) के प्रावधान एमसीजीएम को समझौते को समाप्त करने से नहीं रोक सकते थे। एक अन्य तर्क यह था कि मामले में सी. आई. आर. पी. की अवधि 13 मार्च, 2018 को शुरू हुई थी जब याचिका स्वीकार की गई थी और 270 दिनों की अवधि 8 सितंबर, 2018 को समाप्त हो गई थी; धारा 12 (3) में दिए गए 90 दिनों के विस्तार को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 4 सितंबर, 2018 को प्रदान किया गया था और विस्तारित अवधि 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गई थी; इस प्रकार सी. आई. आर. पी. समय के प्रवाह से समाप्त हो गया है। 6. एन. सी. एल. टी. ने आर. पी., एम. सी. जी. एम., लेनदारों और एस. एन. एम. सी. के विचारों पर विचार करने के बाद कहा कि:

" 29. यहाँ यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन 07.09.2018 पर दायर किया गया था। एम. सी. जी. एम. ने देर से अपनी आपत्तियां रखी हैं।

समाधान योजना के लिए इस तर्क के साथ कि यह है उस भूखंड का निर्विवाद मालिक जिस पर मुंबई में कॉर्पोरेट देनदार का एक अस्पताल बनाया गया है।

महान मुंबई (एम. सी. जी. एम.) का विभिन्न नगरपालिका निगम v. अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एम. सी. जी. एम. द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ, जैसा कि यहाँ ऊपर गिना गया है,

एक विलंबित चरण न तो टिकाऊ होता है और न ही स्वीकार्य। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि एमसीजीएम एक ऐसा रुख अपना रहा है जो उसके अपने निर्णयों और तथ्यात्मक प्रस्तुतियों के बिल्कुल विपरीत है। एमसीजीएम की अंतिम प्रार्थना 'समाधान योजना' को अस्वीकार करना और कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन का आदेश देना है। आर. पी. ने अपनी प्रस्तुतियों में स्पष्ट रूप से बताया है कि एम. सी. जी. एम. के कथन गलत और गलत क्यों हैं। के लिए

संक्षिप्तता, आर. पी. द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ जैसा कि ऊपर बताया गया है

एक बार फिर विस्तार से चर्चा नहीं की गई। यह निर्णय

प्राधिकरण का विचार है कि एमसीजीएम द्वारा उठाई गई दलीलों को सुनवाई के दौरान उसके द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी और विरोधाभासी रुख के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, 270 दिनों की अवधि की समाप्ति से संबंधित एम. सी. जी. एम. का तर्क इस कारण से असमर्थनीय और अस्वीकार्य है कि समाधान योजना के अनुमोदन के लिए समाधान पेशेवर द्वारा आवेदन सी. आई. आर. पी. की अवधि की समाप्ति से बहुत पहले किया गया है और यह संहिता के प्रावधानों के अनुसार है। इसलिए एमसीजीएम द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है।

7. एन. सी. एल. टी. ने यह भी माना कि आवेदन के साथ योजना भी दायर की गई है।

संहिता की धारा 30 (2) और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

37 , 38 , 38 (आई. बी. बी. आई. (सी. आई. आर. पी.) विनियम, 2016 की धारा 39 (4)। इसने यह भी माना कि समाधान योजना किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है धारा 29 ए और उस सी. ओ. सी. द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था; इसने वित्तीय लेनदारों को भुगतान का 78.07% और डॉक्टरों सहित परिचालन लेनदारों को भुगतान का 75 प्रतिशत प्रदान किया, चाहे गलत रूपों में दावे किए गए हों। इसके अलावा, समाधान आवेदक एमसीजीएम को देय देय राशि का भुगतान भी कर रहा है जैसा कि समाधान योजना में कहा गया है। इसके अलावा, एन. सी. एल. टी. ने पाया कि प्रस्ताव में दी गई राशि की तुलना में

आरपी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-एच के साथ योजना, यह देखा गया कि योजना में प्रस्तावित राशि कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन के मूल्य से अधिक थी। तदनुसार इसने योजना को मंजूरी दी।

8. एन. सी. एल. टी. के आदेश से नाराज, एम. सी. जी. एम. ने संपर्क किया

अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसके समक्ष कई आधारों का आग्रह किया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि चूंकि अनुबंध (सेवन हिल्स हेल्थकेयर के साथ) में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया था,

इसलिए कॉर्पोरेट देनदार के पक्ष में कोई पट्टा विलेख नहीं था और परिणामस्वरूप भूमि में कोई ब्याज नहीं था। यह भी आग्रह किया गया कि प्रस्ताव आवेदक को पता था कि [2019] 14 एस. सी. आर.

परिणामस्वरूप, एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव और संशोधित प्रस्ताव, जहां तक वे संपत्ति और भूमि से संबंधित हैं, एम. सी. जी. एम. के खिलाफ लागू करने योग्य नहीं थे। 9. एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने विवादित आदेश में 20 अप्रैल, 2019 को (एन. सी. एल. टी. के समक्ष) एम. सी. जी. एम. की ओर से दायर एक ज्ञापन पर ध्यान दिया कि

संशोधित समाधान योजना को स्वीकार कर लिया गया था और इसकी लिखित प्रस्तुतियों में निर्दिष्ट सभी शर्तों को शामिल किया जाना था। नतीजतन, एन. सी. एल. ए. टी. की राय थी कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/एन. सी. एल. टी. के आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। 10. एमसीजीएम की ओर से इसके विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज कौल ने तर्क दिया है कि इसके पक्ष में कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया था।

सेवनहिल्स, कॉर्पोरेट देनदार। एमसीजीएम भूमि का निर्विवाद मालिक था; क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार की कोई संपत्ति नहीं थी, इसने कहा कि एक विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा। पट्टा विलेख के संबंध में निर्देश मांगने वाले प्रस्ताव और संशोधित प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से कानून के अनुसार निपटाया जाना था। इसका मतलब यह था कि जब तक एमसीजीएम ने संशोधित योजना को स्पष्ट रूप से मंजूरी नहीं दी, तब तक सेवन हिल्स हेल्थकेयर प्राइवेट के पक्ष में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया जा सकता था। लिमिटेड (या समाधान आवेदक एस. एन. एफ. सी. के पक्ष में), न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और न ही एन. सी. एल. ए. टी. एमसी. जी. एम. को बाध्य करने के लिए कोई निर्देश जारी कर सकता था, जिस तरह से उसे अपनी संपत्तियों से निपटना था।

11. इस बात पर जोर दिया गया कि विवादित आदेश का प्रभाव एमसीजीएम को कानून का उल्लंघन करने से रोकना है। वह दिशा जो

यह एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 का उल्लंघन था। सीखा है।

वरिष्ठ वकील ने रेखांकित किया कि एम. सी. जी. एम. की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों को स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, या एम. सी. जी. एम. संशोधित प्रस्ताव से सहमत होने के लिए बाध्य है। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि इन प्रस्तुतियों को कानून की रियायतों के रूप में माना जा सकता है जो एमसीजीएम पर कभी भी बाध्यकारी नहीं थे।

12. यह तर्क दिया गया था कि शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं था

कोई भी निर्देश या संशोधित योजना को मंजूरी देना, जो किसी भी तरह से महान मुंबई (एमसीजीएम) के नगरपालिका निगम को प्रभावित करता है।

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एमसीजीएम की संपत्तियाँ। इस संदर्भ में, वरिष्ठ वकील श्री नीरज कौल ने आग्रह किया कि मूल अनुबंध (दिनांक 20 दिसंबर, 2005) की शर्तों का उल्लंघन किया गया था; 1500 बिस्तरों वाला अस्पताल निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा, पट्टे के किराए के बकाया ने हर परिचर देयता को एक साथ बढ़ा दिया था। इन परिस्थितियों में, दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले ही, एमसीजीएम ने अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हुए एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि चूंकि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, वास्तव में, ऐसा कोई स्थायी पट्टा नहीं था जिससे संशोधित प्रस्ताव और बाद में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निपटा जा सके। यह था।

प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश ने इन मुख्य बातों को पूरी तरह से नोट किया है

13. आर. पी. की ओर से (जिसे पहले प्रतिवादी के रूप में नियुक्त किया गया है) यह तर्क श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिया जाता है कि एम. सी. जी. एम. ने एन. सी. एल. टी. और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लिखित रूप में समाधान योजना के लिए स्पष्ट रूप से सहमति दी थी। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर, 2018,29 अप्रैल, 2019 और 14 मई, 2019 को लिखित प्रस्तुतियों में एमसीजीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाधान योजना को मंजूरी दी जानी चाहिए और एनसीएलटी के समक्ष इसके आवेदन को समाधान आवेदक/एसएनएमसी द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में निपटाया जाना चाहिए। यह इंगित किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण, सुनवाई के बाद एमसीजीएम की प्रस्तुतियाँ कि उसे समाधान योजना पर कोई आपत्ति नहीं है, ने इसकी पुष्टि की। वकील ने कहा कि एमसीजीएम ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि ऐसा बयान एनसीएलएटी के समक्ष दिया गया था। इसलिए यह निर्विवाद स्थिति है कि एमसीजीएम को समाधान योजना पर कोई आपत्ति नहीं थी। मामला होने के कारण, वकील का तर्क है कि अपील विचारणीय नहीं है।

14. श्री सुंदरम ने तर्क दिया कि एम. सी. जी. एम. की दलीलें कि भूमि में कोई ब्याज या पट्टा अधिकार कॉर्पोरेट देनदार के पक्ष में नहीं बनाए गए थे, इसके पत्रों और एन. सी. एल. टी. को इसके आवेदन के सामने आती हैं, जिसने पैरा 4 में स्वीकार किया कि भूमि कॉर्पोरेट देनदार को पट्टे पर दी गई थी। वास्तव में, एमसीजीएम ने यह दावा करते हुए आवेदन दायर किया कि पट्टा एक पूंजी या वित्त पट्टा था और अवैतनिक पट्टा किराया संहिता के अर्थ के भीतर एक वित्तीय ऋण था। लिखित प्रस्तुतियों के विपरीत, एम. सी. जी. एम. ने यह भी नहीं बताया कि उसने किस आधार पर एन. सी. एल. टी. को अपनी स्थिति के संबंध में आवेदन दायर किया था कि कोई पट्टा अधिकार नहीं था।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एमसीजीएम को मालिक [2019] 14 एस. सी. आर. के रूप में अपनी स्थिति के कारण सीओसी की बैठकों में भाग लेने और भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

अनुबंध (2005 का) के तहत पट्टा अधिकार एक विवादित प्रश्न है तथ्य जिस पर दीवानी मुकदमे के संचालन के बाद ही दीवानी कार्यवाही में निर्णय लिया जा सकता है।

16. वैकल्पिक रूप से यह भी तर्क दिया जाता है कि तर्क के उद्देश्य से यह मानते हुए कि इसके पक्ष में कोई पट्टा अधिकार नहीं बनाए गए थे

निगमित देनदार, समाधान योजना प्रतिवादी आवेदक/एस. एन. एम. सी. के पक्ष में कोई पट्टा अधिकार नहीं बनाती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि समाधान योजना में केवल कॉर्पोरेट देनदार की हिस्सेदारी में बदलाव की परिकल्पना की गई है, लेकिन एमसीजीएम की किसी भी संपत्ति को एसएनएमसी को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसलिए, यह कहना गलत है कि समाधान योजना एमसीजीएम की परिसंपत्तियों को एसएनएमसी को हस्तांतरित करती है। यह तर्क दिया गया था

इसके अलावा, हालांकि एमसीजीएम का कोई अधिकार नहीं था और न ही इसे वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाता था, फिर भी इसे सीओसी की बैठकों में भाग लेने, बातचीत करने के साथ-साथ संभावित समाधान आवेदकों के साथ अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एमसीजीएम के हितों की और अधिक सुरक्षा के लिए, आरएफपी ने सभी संभावित समाधान आवेदकों को एमसीजीएम के साथ विवाद को हल करने के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी।

17. श्री सुंदरम ने यह भी प्रस्तुत किया कि एस. एन. एम. सी. के संशोधित प्रस्ताव ने एम. सी. जी. एम. को अपने पूरे बकाया के पुनर्भुगतान का आश्वासन दिया। इस तरह के प्रस्ताव के आलोक में, निगमित ऋणदाता के परिसमापन की मांग करने वाला एमसीजीएम का रुख न केवल मनमाना है, बल्कि प्रथम दृष्टया प्रतिशोधी भी प्रतीत होता है।

18. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समाधान योजना बिल्कुल है

समकालीन रूप से मिनट। ये कार्यवृत्त एस. एन. एम. सी. के स्पष्ट बयान को दर्ज करते हैं कि एम. सी. जी. एम. के साथ बातचीत चल रही है और समाधान योजना बिना शर्त है और किसी भी तरह से निर्भर नहीं है। ऐसी वार्ताओं के परिणाम पर। इसके अलावा, समाधान योजना में कोई प्रावधान नहीं है (और एमसीजीएम द्वारा किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है) जो बताता है कि योजना इसके साथ समझौते (यानी एमसीजीएम) पर सशर्त है।

19. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अंतर्निहित भूमि के पट्टे के संबंध में एम. सी. जी. एम. के साथ किसी भी विवाद का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एम. सी. जी. एम.) v की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है।

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना। गुण-दोष के आधार पर सी. ओ. सी. और एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित होने के बाद, योजना को अंतिम रूप दिया गया और यह एम. सी. जी. एम. को निगमित ऋणदाता में एक हितधारक के रूप में बांधती है। इसलिए एमसीजीएम संहिता की धारा 30 (2) के तहत समाधान योजना में किसी भी विशिष्ट अवधि की वैधता पर एक भी आपत्ति नहीं उठाने के बावजूद कॉर्पोरेट ऋणदाता के पूरे सी. आई. आर. पी. को फिरौती के लिए नहीं रोक सकता है।

भुगतान किया गया था, अधिमानतः पूर्ण में। एस. एन. एफ. सी. की समाधान योजना ने उस लक्षय की दिशा में सबसे अच्छा आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 92 ए के तहत या तो प्रभार के निर्माण के लिए, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई अनुमोदन प्राप्त करने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि अनुबंध की शर्तें, जो वास्तव में पट्टे के बराबर थीं (क्योंकि यह एक पंजीकृत साधन था और एमसीजीएम को प्रारंभिक पट्टे के रूप में 10 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए थे)। इसलिए, एन. सी. एल. टी. और बाद में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना सही थी और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। 21. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 पर निर्भरता गुमराह करने वाली है क्योंकि यह इन प्रावधानों को अधिरोपित करना चाहती है -

संहिता के प्रावधानों पर एम. एम. सी. अधिनियम। संहिता की धारा 238 में निहित गैर-अबाधित प्रावधान के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

22. एस. एन. एफ. सी. के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने तर्क दिया कि अनुमोदित योजना कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान प्रदान करती है। यह तर्क दिया गया कि एस. एन. एफ. सी. कभी नहीं

यह दर्शाता है कि यह पट्टे के बल पर कोई ऋण गिरवी रखेगा या प्राप्त करेगा। न ही इसने कभी यह आग्रह किया कि एमसीजीएम की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने समाधान योजना की शर्तों की ओर इशारा किया और प्रस्तुत किया कि वे कानून का पालन करने के लिए एमसीजीएम के दायित्वों के अधीन थे।

23. यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्तावित योजना पर विचार किया गया है

अनुबंध समझौते की विभिन्न शर्तों का अनुपालन जिसमें बिना किसी सीमा के, एम. सी. जी. एम. के कर्मचारियों के लिए बिस्तरों का 20 प्रतिशत आरक्षण और एम. सी. जी. एम. के दावे के बकाया का निपटान शामिल है। समाधान योजना ने खंड 2.2 पर एम. सी. जी. एम. को भुगतान का प्रस्ताव दिया (जिसे बाद के प्रस्ताव द्वारा 100% तक बढ़ाया गया था)। 2 (बी)। इसके अलावा, खंड 2.2। 3 (च) समाधान योजना के तहत एमसीजीएम को प्रस्तावित भुगतान को फिर से यह कहते हुए दर्ज किया जाता है कि समाधान पेशेवर ने दावों को स्वीकार नहीं किया है।

एम. सी. जी. एम. द्वारा प्रस्तुत, एस. एन. एम. सी. उसे देय ऐसे बकाया को मान्यता देता है और भुगतान करेगा।

102 एमसीजीएम को दिए गए प्रस्ताव के संदर्भ में करोड़

रिकॉर्ड किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. वर्तमान मामले में, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 का समाधान योजना, अनुमोदन आदेश या विवादित आदेश की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 अपीलार्थी की भूमि का निपटान करने के तरीके को अनिवार्य और निर्धारित करती है। हालाँकि, समाधान योजना में उक्त भूमि के किसी भी निपटान या भूमि के संबंध में एमसीजीएम या कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी अतिरिक्त अधिकारों और दायित्वों के निर्माण पर विचार नहीं किया गया है। यह केवल निगमित देनदार की हिस्सेदारी है जिसमें समाधान योजना के अनुसार परिवर्तन होता है। एमसीजीएम संहिता के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर इस तरह के शेयरधारिता परिवर्तनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है।

25. यह आग्रह किया गया था कि एस. एन. एम. सी. उक्त भूमि में कोई ब्याज हासिल नहीं करता है और केवल कॉर्पोरेट ऋणदाता में इक्विटी शेयर धारण करके कॉर्पोरेट ऋणदाता पर प्रबंधकीय नियंत्रण प्राप्त करता है।

इसलिए, समाधान योजना के माध्यम से एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

दिवाला प्रक्रिया और एम. एम. सी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा

26. एक द्वारा पसंद किए गए दिवालिया आवेदन के प्रवेश पर

वित्तीय लेनदार/परिचालन लेनदार, देनदार के खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही को जारी रखने और शुरू करने पर एक स्थगन घोषित किया जाता है।

एन. सी. एल. टी. एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) की नियुक्ति करता है। यह रोक दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक चलती है, जिसे कानून द्वारा एक अनिवार्य समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। फ्रेम। अधिस्थगन अवधि के दौरान, देनदार किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित, बोझिल या बेच नहीं सकता है। आई. आर. पी. की नियुक्ति पर, निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया जाता है और प्रबंधन आई. आर. पी. के साथ निहित होता है। इन पेशेवरों (आई. आर. पी.) को दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करना होता है, कंपनी की परिसंपत्तियों और प्रबंधन को संभालना होता है, जानकारी एकत्र करने में लेनदारों की सहायता करनी होती है और दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करना होता है। आई. आर. पी. का कार्यकाल तब तक जारी रहता है जब तक कि धारा 22 के तहत आर. पी. की नियुक्ति नहीं हो जाती। आई. आर. पी. को पहले परिसंपत्तियों, वित्त और संचालन के बारे में जानकारी संग्रह के माध्यम से देनदार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना होता है।

जानकारी में संचालन, भुगतान, परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची से संबंधित डेटा शामिल हो सकता है। आई. आर. पी. को आगे लेनदारों द्वारा प्रस्तुत दावों को प्राप्त करना और उनका मिलान करना होता है।

27. एन. सी. एल. टी. द्वारा चयनित आर. पी. को ऋणदाताओं की एक समिति (सी. ओ. सी.) का गठन करना होता है जिसमें कॉरपोरेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एम. सी. जी. एम.) के सभी वित्तीय ऋणदाता शामिल होते हैं।

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऋणी। इस प्रावधान का उद्देश्य ऋणदाताओं को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के बजाय दिवाला समाधान की दिशा में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना है। प्रक्रिया के प्रमुख निर्णयों और अंततः अंतिम रूप दी जाने वाली योजना को सी. ओ. सी. द्वारा इस संतुष्टि पर अनुमोदित किया जाना है कि सबसे स्वीकार्य योजना के प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बकाया का भुगतान किया जाए।

28. संहिता का उद्देश्य मुख्य रूप से परिसमापन के करीब आए बिना अपनी दिवालिया स्थिति के समाधान में एक कॉर्पोरेट देनदार की सहायता करना है। इस प्रक्रिया की कुंजी दिवालिया समाधान योजना को अंतिम रूप देना है। एक उपयुक्त रूप से संरचित योजना अपने वित्तीय मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद देनदार की बकाया देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए प्रदान करेगी, साथ ही एक चालू चिंता के रूप में इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करेगी। समाधान योजना में परिचालन लेनदारों के ऋण के पुनर्भुगतान के लिए इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि यह देय राशि से कम न हो, यदि संहिता की धारा 30 (2) के अनुसार देनदार का परिसमापन किया जाता है। इसके अलावा, योजना को दिवाला समाधान लागत के पुनर्भुगतान के तरीके, रणनीति के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण की पहचान करनी चाहिए, और कानून के अनुपालन में होना चाहिए। यदि समाधान योजना के तहत शर्तों (पुनर्भुगतान की शर्तों सहित) को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसे एन. सी. एल. टी. द्वारा आगे अनुमोदित किया जाना चाहिए, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है।

29. इस मामले में, यह आई. बी. सी. के प्रावधान नहीं हैं जिनसे इस अदालत को मुख्य रूप से निपटना है; बल्कि यह है कि क्या एन. सी. एल. टी. और बाद में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपनी संपत्ति (यानी भूमि) के उपचार के संबंध में एम. सी. जी. एम. की चिंताओं और आपत्तियों को खारिज करने में अपनाई गई प्रक्रिया और प्रक्रिया कानून के अनुसार है। प्रासंगिक बृहन्मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

नगरपालिका संपत्ति के निपटान को नियंत्रित करने वाले प्रावधानः

धारा 92। संपत्ति के निपटान के संबंध में

बृहन्मुंबई के प्रयोजनों के लिए निगम में निहित संपत्ति के अलावा निगम से संबंधित

विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम, निम्नलिखित

उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थात्ः

(क) आयुक्त, इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, निगम से संबंधित किसी भी चल संपत्ति का बिक्री या अन्यथा निपटान कर सकता है, [2019] 14 एस. सी. आर.

प्रत्येक मामले में, पाँच लाख रुपये, किसी भी के पट्टे का अनुदान निगम से संबंधित अचल संपत्ति, जिसमें

मछली पकड़ने या फल इकट्ठा करने और लेने का कोई अधिकार और

जैसे, किसी भी अवधि के लिए जो एक बार में बारह महीने से अधिक न हो:

बशर्ते कि अचल संपत्ति का प्रत्येक पट्टा दिया गया हो

आयुक्त द्वारा (मासिक किरायेदारी के लिए एक अनुबंध के अलावा) वार्षिक किराया जहां एक रैक किराए पर 6 से अधिक है

[पचास हजार रुपये] उसे दिए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर सुधार समिति को सूचित किया जाएगा।

(ख) आयुक्त,

(i) संबंधित समिति की मंजूरी के साथ, निगम द्वारा धारण की गई किसी भी चल संपत्ति को बेचकर, जिसका मूल्य

पाँच लाख रुपये से अधिक;

(ii) 9 [स्थायी समिति] की मंजूरी के साथ, निगम द्वारा धारण की गई किसी भी चल संपत्ति का निपटान करें, जिसका मूल्य दो रुपये से अधिक है।

करोड़;

(iii) संबंधित समिति की मंजूरी के साथ, निगम से संबंधित किसी भी अचल संपत्ति का पट्टा (स्थायी पट्टे के अलावा) प्रदान करें, जिसमें उपरोक्त कोई भी अधिकार शामिल है; या किसी भी अचल संपत्ति को स्थायी रूप से पट्टे पर दें, जिसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं है या जिसका वार्षिक किराया उससे अधिक नहीं है।

3,000 रुपये;

(ग) निगम की मंजूरी के साथ, आयुक्त किसी भी अचल संपत्ति को पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है या अन्यथा व्यक्त कर सकता है।

निगम से संबंधित

((ग) वह प्रतिफल जिसके लिए कोई अचल संपत्ति या

निगम के किसी भी अधिकार को बेचा या पट्टे पर दिया जा सकता है। या अन्यथा हस्तांतरित बाजार मूल्य से कम नहीं होगा।

ऐसा प्रीमियम, किराया या अन्य प्रतिफल;

(घ) खंड (ख) और (ग) के तहत निगम की मंजूरी या तो आम तौर पर किसी भी वर्ग के मामलों के लिए या विशेष रूप से दी जा सकती है।

किसी भी विशेष मामले में; महान मुंबई का निसीपाल निगम (एम. सी. जी. एम.) v. अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((घ) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, निगम की मंजूरी से और राज्य सरकार के अनुमोदन से, निगम की अचल संपत्ति का पट्टा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से गठित एक सहकारी आवास समिति को या विशेष रूप से चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास को दे सकता है।

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत सोसायटी के लिए, एक सार्वजनिक ट्रस्ट

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत पंजीकृत, या

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी 3 [या सार्वजनिक शौचालयों के प्रावधान के उद्देश्यों के लिए कोई भी व्यक्ति,

मूत्रालय और इसी तरह की सुविधाएँ या एक पौधे का निर्माण

मलमूत्र और कचरे के अन्य गंदे मामलों को संसाधित करने के लिए] या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इसके परिणामस्वरूप अपमानित है

निगम की किसी भी विकास योजना या विशेष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा गठित एक सहकारी आवास सोसायटी का कार्यान्वयन जो इसके परिणामस्वरूप अपमानित हैं -

निगम की किसी भी विकास योजना का ऐसे किराए पर कार्यान्वयन, जो बाजार से कम हो।

((घ) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, निगम की मंजूरी से और राज्य सरकार की मंजूरी से, महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, मंजूरी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र घोषित की गई नगरपालिका की भूमि को ऐसी भूमि पर कब्जा करने वाले झुग्गी-झोपड़ी निवासियों की सहकारी समिति को ऐसे किराए पर, जो प्रीमियम, किराए या अन्य के बाजार मूल्य से कम हो, 60 साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है। ऐसे पट्टा के अनुदान के लिए, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निगम लागू करे। इस खंड के तहत राज्य सरकार की मंजूरी या तो आम तौर पर ऐसी भूमि के किसी भी वर्ग के मामलों के लिए या विशेष रूप से ऐसी भूमि के किसी विशेष मामले में दी जा सकती है: बशर्ते कि,

आयुक्त इसी तरह समय-समय पर नवीनीकरण कर सकते हैं; [2019] 14 एस. सी. आर.

ऐसी अवधि के लिए पट्टा और ऐसी शर्तों के अधीन जो निगम निर्धारित करे और लागू करे;

जो भी कार्यकाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। निगम द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख या पट्टा समझौते में निर्धारित शर्तों के अलावा, अर्थात्:

(i) संबंधित संपत्तियों के संबंध में पट्टा अधिकार

निगम को और पट्टे पर दिए जाने को केवल आयुक्त की पूर्व अनुमति से, अनर्जित आय और हस्तांतरण शुल्क के कारण ऐसे प्रीमियम के भुगतान पर ही सौंपा या हस्तांतरित किया जा सकता है या

द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी दरों पर प्रभार

निगम, समय समय पर।

((ii) उपखंड (i) के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, ऐसे पट्टाधारक अधिकारों का पट्टेदार या हस्तांतरणकर्ता, निगम द्वारा निर्दिष्ट दरों पर, ऐसे प्रीमियम और हस्तांतरण शुल्क या शुल्क के अलावा जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

समय-समय पर।

(ङ) इस धारा के उपरोक्त प्रावधान इस अधिनियम के तहत या किसी भी उद्देश्य के लिए की गई निगम की संपत्ति के प्रत्येक निपटान पर क्रमशः लागू होंगे।

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय या धारा 89 सी में निर्दिष्ट उसके स्थल पर लागू नहीं होगी, सिवाय 5 [6 [राज्य] सरकार] की पूर्व मंजूरी के।

धारा 92 क। कहाँ?

(1) आयुक्त ने किसी भी अचल संपत्ति को बिक्री या विनिमय के माध्यम से हस्तांतरित किया है।

निगम और ऐसे हस्तांतरण की शर्तें यह निर्देश देती हैं कि संपत्ति को एक विशेष तरीके से लागू किया जाएगा या उसका आनंद लिया जाएगा या उसका उपयोग या आनंद एक विशेष तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा, या

(2) किसी भी अचल संपत्ति के मालिक ने निगम के साथ नाइसीपाल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एमसीजीएम) v के संबंध में एक समझौता किया है।

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक विशेष तरीके से संपत्ति का आवेदन, आनंद या उपयोग, ऐसी अवधि, शर्त या दायित्व के लिए आयोजित किया जाएगा

उस संपत्ति के साथ संलग्न किया जाए जो विषय-वस्तु है

हस्तांतरण या समझौता और इसके खिलाफ लागू किया जाएगा

अंतरिती या स्वामी और स्वामित्व या ब्याज प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति

उसके अधीन या उसके माध्यम से, इसके बावजूद

((क) तत्काल प्रवृत्त कोई विधि, और

(ख) कि निगम के कब्जे में नहीं है या

किसी भी अचल संपत्ति में रुचि रखने वाले जिसके लाभ के लिए, अवधि, शर्त या दायित्व पर सहमति हुई थी,

में प्रवेश किया या लगाया गया।

30. इस स्तर पर अनुबंध जैसी कुछ शर्तों पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा। खंड 2 (i) न्यूनतम पट्टा किराया 10.40 के रूप में निर्धारित करता है।

जिनके लिए एस. एच. सी. एल. ने 0.1 प्रतिशत से अधिक का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की

लीज किराया संख्या। समझौते के खंड 5 ने सेवन हिल्स ऑर्टगेज और/या अनुसूची संपत्ति का प्रभार बनाने की अनुमति दी। द.

अनुसूचियाँ इस प्रकार हैं:

" 5. मालिक एतद्द्वारा एस. एच. सी. एल. को अनुमति देने और अनुमति देने के लिए सहमत होता है।

मालिक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर

कौन सी अनुमति/अनुमोदन अनुचित नहीं होगी रोक दिया गया, बंधक बनाने और/या अनुसूची पर शुल्क बनाने के लिए

संपत्ति और/या उस पर एस. एच. सी. एल. की पट्टा अधिकार के साथ या

अनुसूची संपत्ति पर इमारतों के बिना पट्टा अवधि या उससे पहले यानी परियोजना अवधि के दौरान)

एस. एच. सी. एल. के रूप में किसी भी तरह से या तो पूर्ण या आंशिक रूप से

समय-समय पर संतुष्टि की आवश्यकता हो सकती है

ऋणदाताओं से वित्तीय सहायता जुटाने के उद्देश्य से

समितियाँ/न्यास/यू. एफ./साझेदारी/स्वामित्व फर्म और कोई अन्य ऋण देने वाले व्यक्ति/संस्थान, चाहे वे निगमित हों। या नहीं, उक्त के लिए और उसके संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए

शुरू करने, ले जाने के उद्देश्य सहित परियोजना

भवनों का निर्माण और निर्माण पूरा करना, अस्पताल की स्थापना, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थान वाणिज्यिक और फ्रेम वर्क के भीतर अन्य प्रतिष्ठान

ऐसी इमारतों में लागू विकास नियंत्रण विनियम, उनका संचालन, रखरखाव, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण आदि। इस उद्देश्य के लिए एस. एच. सी. एल. को [2019] 14 एस. सी. आर. के लिए आवेदन करना होगा।

नगर निगम आयुक्त को दो महीने पहले और यदि मंजूरी दी गई है तो उसे गिरवी रखने और/या शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।

प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर प्राप्त किया गया

आयुक्त द्वारा अनुरोध किए जाने पर यह माना जाएगा कि

सिद्ध और एस. एच. सी. एल. बनाने के लिए स्वतंत्र होगा

ऋणदाताओं के पक्ष में अनुसूची संपत्ति का बंधक

मालिक को कोई सहारा दिए बिना।

.....खंड 15 (ए) जिसमें कहा गया है कि पट्टा विलेख होना चाहिए

परियोजना के पूरा होने पर और अन्य शामिल एनएस, विशेष रूप से, निम्नानुसार पढ़ता है:

5. लीज ऑफ प्लॉट:

लीज अवधि:

i) एस. एच. सी. एल. पूरा होने पर पट्टा विलेख में प्रवेश करेगा।

एस. एच. सी. एल. को भूखंड पट्टे पर देने के लिए परियोजना अवधि

60 वर्ष की अवधि। 60 वर्षों के बाद, पट्टा अवधि

मालिक की आपसी सहमति से विस्तारित किया जाएगा और एस. एच. सी. एल. उन शर्तों पर जिन पर पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है

दोनों पक्षों द्वारा आगे की अवधि के लिए।

(ii) 60 वर्षों की पट्टा अवधि शुरू होगी -

परियोजना अवधि के पूरा होने की तिथि।

(ii) उक्त परियोजना के पूरा होने पर मालिक इसे जारी करेगा।

एस. एच. सी. एल. को 'परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र'। तब तक परियोजना को पूरा करना और चालू करना और

परियोजना सुविधाओं का संचालन, पट्टे के अंत तक

अवधि, इस अनुबंध समझौते को पढ़ा जाना है, में

उक्त पट्टा विलेख के साथ संयोजन जो दोनों

परियोजना के पूरा होने पर दल इसमें शामिल होंगे।

अवधि।

iv) एस. एच. सी. एल. इसका निर्माण पूरा करेगा।

60 महीने की परियोजना अवधि के भीतर अस्पताल का निर्माण

मानसून को छोड़कर। एमसीजीएम जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा

लिखित रूप में परियोजना समाप्ति प्रमाण पत्र पूरा होने के बाद एस. एच. सी. एल. द्वारा उस प्रभाव के लिए आवेदन

परियोजना।

XXXXXX

XXXXXX

महान मुंबई (एम. सी. जी. एम.) के सभी निगम-बिलास लाल और ओ. आर. एस. [एस. रवींद्र भाट, जे.]देरी के लिए दंड:

एस. एच. सी. एल. पूरी परियोजना को पूरा करेगा और इसका उद्घाटन करेगा।

स्वीकृत समय सीमा के भीतर सार्वजनिक उपयोग की सुविधा।

एस. एच. सी. एल. परिभाषित कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। मील के पत्थर। कार्य की प्रगति सख्ती से इस प्रकार होगी -

एसएचसीएल द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार

और आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

यदि एस. एच. सी. एल. उपरोक्त परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है।

60 (साठ) महीनों की उक्त परियोजना अवधि के भीतर

मानसून को प्रारंभ जारी करने से अलग रखना

प्रमाणपत्र, और जब तक कि ऐसी विफलता बल के कारण न हो

आकस्मिक शर्तों, देरी के लिए जुर्माना लगाया जाएगा

देरी की अवधि के लिए जो 25 प्रतिशत के बराबर होगी।

पट्टे के किराए का जो एस. एच. सी. एल. ने भुगतान किया होगा

उस अवधि के लिए मालिक, परियोजना पूरी हो गई थी

परियोजना अवधि के भीतर और यह अतिरिक्त होगा

किराया देने के लिए। एस. एच. सी. एल. को अलग से मुआवजे का भुगतान करना होगा।

नोटिस अवधि के अंत में मालिक को देरी के लिए।

हालाँकि, यदि किसी कारण से कोई देरी होती है

केवल एस. एच. सी. एल. के नियंत्रण से परे स्थितियाँ

बिना परियोजना की अवधि में उपयुक्त विस्तार

जुर्माना लगाना या मुआवजे की मांग करना

परियोजना को पूरा करने में देरी की अनुमति दी जाएगी। नहीं।

किसी भी प्रकार का अन्य दावा या क्षतिपूर्ति मनोरंजन करें।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

सुगमता कार्यः

इस विलेख का निष्पादन इसके साथ संलग्न मसौदे के अनुसार किया जाएगा।

परियोजना अवधि की समाप्ति से एक महीने के भीतर या जो भी पहले हो, उससे सूचित होने पर अनुबंध-'II' के रूप में अनुबंध समझौता।

प्लॉट और भवनों की बिक्री

एस. एच. सी. एल. को इसके द्वारा उप-पट्टा देने की अनुमति है; औरउक्त भूखंड और इमारतों पर या तो आंशिक रूप से शुल्क

[2019] 14 एस. सी. आर. के उद्देश्य के लिए ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए कुल।

शुरू करने, प्रगति करने, पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता जुटाना,

पट्टा अवधि के लंबित रहने के दौरान वित्तीय संस्थानों/एफ. आई. आई. एस./बैंकों/म्यूचुअल फंडों/सहकारी समितियों, न्यासों/व्यक्तियों/एच. यू. एफ./साझेदारी फर्मों, अन्य ऋण देने वाले संस्थानों और उक्त परियोजना के लिए किसी भी संविधान के ऋणदाताओं से अस्पताल परिसर और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन और संचालन आयुक्त की पूर्व अनुमति से किया जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

परियोजना अवधि के दौरान और/या पट्टे के निर्वाह के दौरान अनुचित रूप से रोक दिया गया और मालिक को अनुमति के बाद ऐसे सौदों के बारे में सूचित किया जाएगा

आयुक्त और एस. एच. सी. एल. मालिक के रिकॉर्ड के लिए उस प्रभाव के लिए प्रासंगिक दस्तावेजी साक्षय दाखिल करेंगे।

वित्त जुटाने के लिए ऋणदाताओं के पक्ष में अनुसूचित संपत्ति को गिरवी रखने के लिए एस. एच. सी. एल. को मालिक द्वारा दी गई अनुमति अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय रहेगी।

परियोजना अवधि और पट्टा अवधि की अवधि के दौरान, सिवाय जब संपर्क समाप्त हो जाता है। यदि अनुबंध वैध कारण से समाप्त किया जाता है, तो मालिक किसी भी वित्तीय संस्थान को एस. एच. सी. एल. द्वारा बंधक की परिणामी समाप्ति की कोई लागत और परिणाम वहन नहीं करेगा। जबकि स्वामित्व का अधिकार मालिक के पास रहेगा, संपत्ति का पट्टा अधिकार बोझ से मुक्त रहेगा और ऋण की मुद्रा या पट्टा अवधि के दौरान ऋणदाताओं को समर्पित रहेगा, जो भी पहले हो और ऋणदाताओं को एस. एच. सी. एल. के समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

एस. एच. सी. एल. को भी पूर्व लिखित अनुमति के साथ अनुमति दी जाती है।

आयुक्त से अनुसूची संपत्ति पर पूरे या उसके हिस्से और/या इमारतों को उपखंडित करने के लिए। एस. एच. सी. एल. अनुसूची संपत्ति और उस पर भवन को समय-समय पर किसी भी संपत्ति के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपखंडित करने का हकदार होगा।

किसी अन्य पक्ष को अवधि (पट्टा अवधि से परे नहीं) ऐसे नियमों और शर्तों पर (उप-पट्टेदार/ओं), जो निविदा की रूपरेखा के भीतर एस. एच. सी. एल. के लिए सहमत हो सकते हैं और

इस समझौते और उसी या समान उद्देश्यों के लिए जिसके लिए समझौते का इरादा है, विधिवत पंजीकृत विलेख के माध्यम से।

एस. एच. सी. एल. को मंजूरी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एम. सी. जी. एम.) v. को आवेदन करना होगा। अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

नगर निगम आयुक्त दो महीने पहले और यदि आयुक्त द्वारा इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो इसे अनुमोदित माना जाएगा।

33. दिवाला समाधान प्रक्रिया को स्वीकार करने से पहले इस मामले में कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। स्पष्ट परिस्थितियों को देखते हुए अनुबंध में निर्धारित, एम. सी. जी. एम. ने अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखे और इसलिए समाधान योजना से इसकी संपत्तियां किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो सकती थीं। समान रूप से इस न्यायालय की राय में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उस योजना को मंजूरी नहीं दे सकता था जो एमसीजीएम की परिसंपत्तियों को निहित करती है

विशेष रूप से जब सेवन हिल्स ने इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था अनुबंध।

34. एमसीजीएम के हित प्रभावित नहीं होने के संबंध में आरपी, वित्तीय संस्थानों (सीओसी) और एसएनएमसी का तर्क

अदालत की राय अवास्तविक है। एस. एन. एम. सी. की प्रस्तावित दिवाला योजना में एक ओर एमसी. जी. एम. की देनदारियों को शुरू में 102 करोड़ रुपये (बाद में संशोधित होकर 140 करोड़ रुपये से अधिक) के परिसमापन का प्रावधान था। हालांकि, समाधान योजना के प्रावधानों पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूंजी का निवेश। पूंजी सुरक्षित करने की योजना में वर्णित तरीकों में से एक भूमि को गिरवी रखना था। शुरू में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस. एन. एम. सी. ने सेवनहिल्स के स्थान पर कदम रखा और अपना नियंत्रण संभाल लिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि निगमित पुनर्गठन एस. एन. एम. सी. द्वारा कंपनी के परिसमापन को संभालने का एक तरीका था क्योंकि यह न केवल शेयरों और ऋणों के परिसमापन के साथ सेवन हिल्स की परियोजना थी, बल्कि यदि आवश्यक हो तो कंपनी की देनदारियों का पुनर्गठन भी था।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. धारा 92 स्पष्ट रूप से उस विधि को निर्धारित करती है जिसके द्वारा एम. सी. जी. एम. की संपत्तियों को पट्टे के माध्यम से या निम्नलिखित के माध्यम से निपटाया जा सकता है -

किसी अन्य हित का सृजन। एकमात्र अनुमति प्राप्त तरीका निगम की पूर्व अनुमति के माध्यम से है। यह रिकॉर्ड की बात है कि वर्तमान मामले में, समाधान योजना को निगम द्वारा कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था और इसे मतदान के लिए रखा गया था। आर. पी. और सी. ओ. सी. सहित चुनाव लड़ने वाले पक्ष यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी इंगित करने में असमर्थ थे कि समाधान योजना में प्रस्ताव के संबंध में धारा 92 द्वारा विचारित एक वैध अनुमति कभी प्राप्त की गई थी। प्रस्ताव को एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित किया गया था और एम. सी. जी. एम. की अपील को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रस्ताव को केवल इस हद तक मंजूरी दी जा सकी कि इसके परिणामस्वरूप एम. सी. जी. एम. की भूमि पर बोझ नहीं पड़ा।

36. धारा 92 (सी) के एक स्पष्ट पठन से यह स्पष्ट है कि आयुक्त (एम. सी. जी. एम. के) को इसकी मंजूरी के साथ अधिकार प्राप्त है -

कभी नहीं हुआ। इसलिए, अनुबंध की शर्तें, अदालत की राय में, पट्टे में प्रवेश करने के लिए एक समझौता बनी रहीं; यह अपने आप में कोई अधिकार या ब्याज प्रदान नहीं करता था, सिवाय इसके कि एमसीजीएम की स्थिति में पट्टे को पंजीकृत करने में विफलता या चूक (यदि सेवन हिल्स ने अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन किया था), तो उस पर समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, और पट्टे के विलेख को निष्पादित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वह घटना नहीं हुई; सेवन हिल्स ने 1600 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं किया। जाहिरा तौर पर, इसने अपनी प्रतिबद्धता को भी पूरा नहीं किया, या वार्षिक पट्टे के किराए का भुगतान नहीं किया। इन परिस्थितियों में, एम. सी. जी. एम. को अदालत के समक्ष कारणदर्शक नोटिस जारी करने के लिए विवश किया गया था।

दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हुई, और इससे पहले कि 13 मार्च, 2018 को एन. सी. एल. टी. द्वारा अधिस्थगन घोषित किया गया था। एमसीजीएम के अनुसार, खंड 26 (अनुबंध के) के संदर्भ में, यहां तक कि समझौता भी सेवनहिल्स द्वारा चूक के कारण समाप्त हो गया था। यह अदालत प्रस्ताव नहीं करती है उस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि यह विवादास्पद है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।

नाइसीपाल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एम. सी. जी. एम.) v. अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]37. राम सिंह में विजय पाल सिंह और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और 2007) 6 एस. सी. सी. 44, इस न्यायालय ने एक समान प्रावधान पर विचार किया, जिसके लिए वैधानिक प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता होती है जिसके बिना संपत्ति कर सकती है।

ई निपटाया। अदालत ने कहा:

" अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) का परंतुक

यह दिखाएगा कि मंडी समिति (समिति) नहीं है

राज्य कृषि उपज बाजार बोर्ड (मंडी परिषद) की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार। अधिनियम की धारा 26-एल

बोर्ड की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। द.

मंडी परिषद (बोर्ड) के निदेशक को कोई अधिकार नहीं दिया गया है जिसके तहत वह एक सामान्य निर्देश जारी कर सकते हैं कि मंडी परिषद की दुकानें, गोदाम और शेड किराया-खरीद के आधार पर व्यापारियों को हस्तांतरित या बेचा जाए। इसलिए, अपीलकर्ता निदेशक के दिनांकित 4.11.1995 के पत्र से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दुकानों को किराया खरीद के आधार पर देने का निर्णय लिया गया था। जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं के पास है

विशेष रूप से जोर देकर कहा कि बोर्ड ने ऐसा कभी नहीं किया

मंडी समिति की संपत्ति बेचने का निर्णय

व्यापारी या तो किराया-खरीद के आधार पर या अन्यथा। नहीं।

यह दिखाने के लिए दस्तावेज़ दाखिल किया गया है कि बोर्ड ने कभी ऐसा कोई निर्णय लिया है। यह उत्तरदाताओं का मामला है कि

निदेशक द्वारा भेजा गया पत्र उनकी अपनी कार्रवाई थी जिसमें बोर्ड द्वारा कभी अधिकृत नहीं किया गया। किसी भी तरह से निदेशक द्वारा किया गया प्रस्ताव कभी भी सफल नहीं हुआ क्योंकि बोर्ड द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और बोर्ड ने कभी भी राज्य के विभिन्न जिलों की मंडी समितियों (समितियों) को कृषि उपज के व्यापारियों के पक्ष में समिति की संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत नहीं किया था, जिन्हें मंडी परिषद द्वारा दुकानें, गोदाम और शेड आवंटित किए गए थे। मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलार्थियों को यह दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि संपत्ति उन्हें किराया-खरीद के आधार पर दी जाए।

38. एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य एस। (2018) 3 एस. सी. सी. 750, फिर से, इस अदालत ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 16. इसके बावजूद, अभिलेख से जो स्पष्ट है वह यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं ने वास्तव में चैनल को 14 मीटर की गहराई तक खोद दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक क्षेत्र [2019] 14 एस. सी. आर. को पुनः प्राप्त कर लिया है।

के दक्षिण में 164 हेक्टेयर प्लस 170 हेक्टेयर

मैंग्रोव, बिना किसी अनुमति के। जब श्री मिहिर जोशी को यह बताया गया, तो जवाब दिया गया कि जब गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम की धारा 35 (1) के तहत अनुमति दी जाती है, तो इस तरह का एक पत्र दिया जाता है अनुमति विशेष रूप से कहती है कि यह अनुमति है जो धारा 35 (1) के तहत दी गई है और इस उद्देश्य के लिए, एक पत्र

दिनांक 2 अगस्त, 2008 का उल्लेख किया गया था। उनके अनुसार, इसलिए, 14 जून, 2007 के पत्र, जिसमें केवल सुधार के लिए एक एनओसी का उल्लेख किया गया है, को धारा 35 (1) के तहत अनुमति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, इसलिए, यदि धारा 35 (1) को धारा 35 (2) के साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि

सुधार केवल तभी आवश्यक होगा जब किसी निजी व्यक्ति के हाथों में एक निजी संपत्ति बनाई जानी हो। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि बनाई जाने वाली संपत्ति केवल गुजरात सरकार की थी और अपीलकर्ताओं को इसका उपयोग करने की अनुमति देना जी. एम. बी. का काम था। हमें डर है कि हमारे लिए इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है। धारा 35 (1) नकारात्मक भाषा में लिखी गई है और यह निजी अधिकारों के सृजन का उल्लेख नहीं करती है। धारा 35 (2) को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि धारा 35 (1) पर प्रकाश डाला जा सके, क्योंकि धारा 35 (2) के तहत जी. एम. बी. को केवल एक ऐसे व्यक्ति की मांग करने की विवेकाधीन शक्ति दी गई है, जिसने इसका उल्लंघन किया है।

धारा 35 (1), अवैध निर्माण को हटाने के लिए। धारा 35 (1) की व्यापक भाषा को इस प्रकार कम नहीं किया जा सकता है -

धारा 35 (2) श्री जोशी द्वारा तर्क दिए गए तरीके से, क्योंकि जी. एम. बी. धारा 35 (2) के तहत उसे दी गई विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। धारा 35 (1) की सरल भाषा को उप-धारा (2) में अनुमान द्वारा पढ़कर कम नहीं किया जा सकता है, यह तथ्य कि जी. एम. बी., सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को इरेक्शन हटाने की आवश्यकता हो सकती है, केवल तभी जब इसे बनाया गया हो।

पूर्व अनुमति के बिना, ताकि किसी निजी व्यक्ति के हाथों में एक निजी संपत्ति बनाई जा सके। व्यापक भाषा धारा 35 (1) यह स्पष्ट करती है कि जी. एम. बी. की सीमाओं के भीतर कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि

जी. एम. बी. की लिखित अनुमति। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 8 मीटर से कम की गहराई तक ड्रेजिंग और मैंग्रोव के दक्षिण में किसी भी क्षेत्र का रिक्लेमेशन नाइसीपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एमसीजीएम) v था।

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अपीलकर्ताओं द्वारा गुजरात समुद्री बोर्ड अधिनियम की धारा 35 (1) के तहत किया गया।

17. श्री सिब्बल ने 15 नवंबर, 2012 के पत्र पर बहुत जोर दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि वास्तव में, याचिकाकर्ता जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे थे, वह हजीरा में एस्सार इस्पात संयंत्र की कैप्टिव आवश्यकताओं से परे वाणिज्यिक संचालन करना था। यह पत्र, मौजूदा 1100 मीटर के अलावा 3700 मीटर जोड़ने के लिए कहता है

तटवर्ती क्षेत्र ने वाणिज्यिक कार्गो को संभालने के लिए जी. एम. बी. के साथ 700 मीटर बर्थ विकसित करने की भी बात की। इसके अलावा एस्सार ने विश्व स्तर का निर्माण करने की योजना बनाई

कंटेनर टर्मिनल और एक ड्राई डॉक, जो आम तौर पर शिपिंग उद्योग की सेवा करेगा। इसने अतिरिक्त ड्रेज सामग्री के साथ दक्षिणी तरफ 334 हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त करने का भी प्रस्ताव रखा। इस पत्र के अवलोकन से इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं होगा कि एस्सार स्टील का उत्पादन अनुमान से बहुत कम होने के बावजूद, अपीलकर्ताओं की निरंतर मांगों से पता चलेगा कि वास्तविक उद्देश्य एक कैप्टिव जेटी से आगे बढ़ना और एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करना था, जैसा कि हमने देखा है, जो गुजरात अवसंरचना विकास अधिनियम के तहत वैश्विक निविदा के बिना नहीं किया जा सकता है।

18. जैसा कि ऊपर बताया गया है, तीन समझौता ज्ञापन थे -

अपीलार्थियों, जी. एम. बी. और राज्य सरकार के बीच निष्पादित किए गए, जो समझौता ज्ञापन केवल 12 महीने की अवधि के लिए मान्य थे और कहा गया था कि उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था

उपरोक्त किसी भी समाप्त हो चुके समझौता ज्ञापन पर आधारित होना चाहिए। उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही है कि ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है संभवतः उपरोक्त समझौता ज्ञापनों या अपीलार्थियों और जी. एम. बी. के बीच पत्राचार से उत्पन्न हो सकता है।

संदर्भित किया गया।

19. अपीलार्थियों और जी. एम. बी. के बीच पत्राचार से यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी

स्पष्ट रूप से बताया गया था कि भूमि को [2019] 14 एस. सी. आर. द्वारा पुनः प्राप्त किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी केवल सरकार से संबंधित नहीं होंगे

गुजरात, लेकिन यह भी कि जी. एम. बी. उपरोक्त का उपयोग कर सकता है

किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि। पढ़ने पर क्या उभरता प्रतीत होता है

पक्षकारों के बीच पत्रों में से यह है कि अपीलार्थी

वे अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए, जो उनके बंदी जेटी के बगल में था, नहर को अपने खर्च पर निकालना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी। हालाँकि, पृथ्वी के डंपिंग के बाद से, जो ड्रेजिंग के परिणामस्वरूप उभरेगा,

खुले समुद्र में जाना बेहद महंगा होगा, यह कहा गया था कि इसके बजाय इस पृथ्वी को कैप्टिव जेटी के बगल में पुनः प्राप्त भूमि बनाने के लिए फेंका जा सकता है, जिससे दोनों को लाभ होगा।

अपीलार्थी और जी. एम. बी. वास्तव में, अपीलकर्ताओं द्वारा पुनः प्राप्त किए गए 195 हेक्टेयर में से 140 हेक्टेयर है

अपीलार्थियों को उनके अपने उद्देश्यों के लिए आवंटित,

1100 मीटर से अधिक की जेट्टी के रूप में और जब भी दी जाएगी

3700 तट के मीटरों का निर्माण किया गया है। तर्क यह है कि

पूरी तरह से भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए भारी राशि खर्च की गई थी।

भ्रामक-एक नहर को खोदने के लिए भारी राशि खर्च की गई थी जो

अनुमति दी गई थी क्योंकि अकेले अपीलकर्ताओं को लागत वहन करनी थी, और एक बढ़े हुए मसौदे के रूप में सभी को लाभ होगा, क्योंकि नहर थी

उपयोग करने के लिए सभी के लिए खुला। इसलिए, एक वैध के रूप में कोई भी याचिका

के लिए पुनः प्राप्त भूमि आवंटित किए जाने की अपेक्षा

अपीलार्थियों का अपना उपयोग, बड़ी राशि खर्च किए जाने के कारण,

अपीलार्थियों के पत्राचार के विपरीत है

स्वयं।

सरोज स्क्रीन्स प्राइवेट में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। लि.

अंश्यम और ओआरएस।, (2012) 11 एससीसी 434।

39. यह सिद्धांत कि यदि किसी क़ानून में किसी चीज़ को विशिष्ट तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो इसे उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं, जो नज़ीर अहमद v में दिया गया है। सम्राट, ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 को प्रसार स्वीकृति मिली है। इस मामले के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि यदि एम. सी. जी. एम. की संपत्तियों के संबंध में किसी विशेष तरीके से कानून में प्रतिरूपित किसी भी हित का निर्माण या सृजन किया जाता है, तो वह उद्देश्य केवल निर्धारित तरीके से ही हो सकता है, या बिल्कुल भी नहीं।40. यह न्यायालय यह भी नोटिस करता है कि संचालन के संबंध में ब्याज के सृजन के लिए एमसीजीएम द्वारा स्वेच्छा से एक प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दायर किया गया है। मंजूरी देने से इनकार करने पर, सेवनहिल्स ने नाइसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेट मुंबई (एमसीजीएम) v.

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत संपादन (डब्ल्यू. पी.

728 2011), जिसमें न्यायालय ने जारी करने का निर्देश दिया

आइकेट। साथ ही, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 11. ..... तथापि, यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि

निगम न तो अपने उद्देश्य के लिए कोई राशि उधार लेता है और न ही लेता है। अगर

बंधक, निगम को किसी भी मामले में नुकसान नहीं होने वाला है और यह संबंधित बैंक के लिए है कि वह इस पर विचार करे

बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए और, इसलिए, जो भी दस्तावेज याचिकाकर्ता कर सकते हैं

बैंक के पक्ष में निष्पादित करें, निगम बाध्य नहीं है उसी से। उक्त एन. ओ. सी. द्वारा प्रदान किया जा सकता है

निगम अपने अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

कि विचाराधीन भूमि उनकी है और इसलिए, नहीं

निगम को इस हद तक अधिकार का पता लगाने के लिए खुला है कि वे ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन से बाध्य नहीं हैं

बैंक। हालांकि, एन. ओ. सी. का ऐसा अनुदान बिना किसी मंजूरी के होगा।

निगम के अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह।

निगम देते समय इस तरह के पहलू का भी उल्लेख कर सकता है। याचिकाकर्ताओं को एन. ओ. सी. कि ऐसी एन. ओ. सी. बिना दिए दी गई है

अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह जो उनकी भूमि कर सकती है

याचिकाकर्ताओं द्वारा बैंक के साथ गिरवी नहीं रखा गया है। (जोर दिया गया)

12. ..... इसके अलावा, एन. ओ. सी. देकर यह नहीं किया जा सकता है

इसका अर्थ यह हुआ कि निगम ने अपनी संपत्ति भी गिरवी रख दी है किसी भी तरह से एक्सिस बैंक के पक्ष में।

15. ..... यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश बिना किसी पूर्वाग्रह के पारित किया गया है

दोनों पक्षों के अधिकार और विवाद और इसके पास कोई नहीं होगा

प्रभाव जहाँ तक योग्यता के आधार पर मामले का निर्णय लेने का संबंध है।

***

***

***

**

41. एमसीजीएम द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री

यह पूर्व संध्या है कि निगम द्वारा 14 दिसंबर को आयोजित बैठक,

, एस. एन. एम. सी. द्वारा दिए गए संकल्प प्रस्ताव को वापस संदर्भित किया गया।

बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज है कि तीन सदस्य अपने विचार में सर्वसम्मत थे कि चूंकि सेवन हिल्स ने शर्तों का पालन नहीं किया था और यहां तक कि बंधक द्वारा संपत्ति को बोझिल करने की मांग की थी, संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी एस. एन. एम. सी. को भूखंड पर कब्जा करने और अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

42. अब, यह न्यायालय इस तर्क से निपटने का प्रस्ताव करता है कि संहिता के प्रावधान अन्य सभी कानूनों पर हावी हैं और इसलिए,

एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना अन्य सभी कानूनी प्रावधानों पर प्रधानता प्राप्त करती है। चेहरे पर, यह तर्क उचित प्रतीत होता है। धारा 238 अधिनियमित करता है कि:

" 238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान। इस संहिता के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून या प्रभावी किसी दस्तावेज में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

ऐसे किसी भी कानून के आधार पर।

43. इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस प्रावधान का दायरा बहस का विषय रहा है। जयपुर धातु और

विद्युत कर्मचारी संगठन बनाम। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 227, एक उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की शुद्धता, जिसने उसके समक्ष लंबित समापन कार्यवाही को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया और एक वित्तीय लेनदार के कहने पर दिवालिया समाधान आवेदन को स्वीकार करने वाले एन. सी. एल. टी. के आदेश को दरकिनार कर दिया, मुद्दे में था। इस अदालत ने उस मामले में दिए गए फैसले को दरकिनार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

" यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने 11.01.2018 पर संहिता के तहत एक धारा 7 आवेदन दायर किया है, जिस पर NCLT द्वारा 13.04.2018 पर इस तरह के आवेदन को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया गया है। यह कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही के हस्तांतरण से कोई लेना-देना नहीं है। संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए समापन आदेश पारित होने से पहले यह किसी भी समय प्रतिवादी संख्या 3 के लिए खुला था। संहिता की धारा 238 के साथ धारा 7 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है जो इस प्रकार है:

" 238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान।

इस संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे -

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून या किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद

ऐसे किसी भी कानून के आधार पर प्रभावी साधन। बृहन्मुंबई का नगरपालिका निगम (एम. सी. जी. एम.) v.

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

18. श्री दवे का सरल तर्क है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को ग्यारहवें द्वारा संशोधित किया गया है।

संहिता की अनुसूची, संशोधित धारा 434 को संहिता का हिस्सा होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि कंपनी अधिनियम 2013 को, इस कारण से खारिज किया जाना चाहिए कि हालांकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 को ग्यारहवें द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। संहिता की अनुसूची, फिर भी धारा 434, प्रतिस्थापित के रूप में, केवल कंपनी अधिनियम, 2013 में दिखाई देती है और इसका हिस्सा है और

उस अधिनियम का अंश। ऐसा होने पर, यदि प्रतिस्थापित धारा 434 और इसके प्रावधानों के बीच कोई विसंगति है। कोड , बाद वाला
प्रबल होना चाहिए। हमारा विचार है कि एन. सी. एल. टी. एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार, अर्थात् अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन द्वारा शुरू की गई एक स्वतंत्र कार्यवाही के लिए संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था।

कंपनी लिमिटेड इस मामले में, यह मुश्किल है

समझें कि उच्च न्यायालय कैसे अभिनिर्धारित कर सकता था कि

एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। इस आधार पर, इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय निर्धारित किया जाना चाहिए

एक तरफ।" 44. डंकन्स
इंडस्ट्रीज बनाम में हाल के फैसले में। ए. जे.

एग्रोकेम 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन (एस. सी.) 1319, मुद्दा यह था कि चाय अधिनियम की धारा 16 डी (4) के तहत कार्रवाई, जिसमें यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।

उपक्रम के व्यवसाय को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए लिया गया था। यह आग्रह किया गया कि धारा 16 डी के तहत कोई भी अधिसूचना पांच के लिए प्रभावी है

यदि आम जनता के हित में आवश्यक पाया जाता है तो चाय उपक्रम को फिर से शुरू करने की केंद्र सरकार की शक्ति। तर्क यह था कि एक दिवालिया प्रक्रिया भी परिसमापन में समाप्त होने के लिए है, यदि कोई पुनरुद्धार नहीं है, और चूंकि चाय अधिनियम केंद्र सरकार को एक चाय बागान के प्रबंधन को संभालने की अनुमति देता है जो ठीक से नहीं चलाया जाता है, इसलिए धारा 16 जी के तहत पूर्व अनुमति ऐसी संपदा पर लागू होती है, जिसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार। संहिता की धारा 238 पर भरोसा करने वाले इस न्यायालय द्वारा इस तर्क को नकार दिया गया था।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. मैक्वायर बैंक लिमिटेड बनाम। शिलिपी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 674, एक मुद्दा संहिता की धारा 9 और अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया था। यह तर्क दिया गया था कि एक वकील के माध्यम से जारी किया गया मांग नोटिस अनुमत नहीं था और

कि संहिता के प्रावधान अन्य सभी कानूनों पर हावी हो जाते हैं। इस न्यायालय ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि यह केवल विसंगति के मामले में है कि संहिता की धारा 238 के कारण इसके प्रावधान प्रबल होंगे। असंगत प्रतीत होने वाले प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर, यदि न्यायालय दोनों को लागू कर सकता है, तो वह ऐसा करेगा।

46. धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और

ओआरएस। (2019) 5 एस. सी. सी. 480 इस अदालत का एक प्रासंगिक हालिया निर्णय है। उस मामले में जो सवाल उठा वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों की वैधता और संवैधानिकता थी। 12 फरवरी, 2018 का ऋणदाताओं की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान को विनियमित करना। इस अदालत ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया और कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक में दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति निहित है। न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से अभिनिर्धारित किया कि शक्ति धारा 35 एए के "चार कोनों के भीतर" निहित थी और निम्नानुसार टिप्पणी की:

" इन सभी प्रावधानों के संदर्भ से पता चलता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार को या तो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ या खुद से शक्तियों का प्रयोग करना है। भूमिका.

इसलिए, धारा 35 एए द्वारा, जब इसके तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की बात आती है

इस प्रकार, दिवाला संहिता महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के प्राधिकरण के बिना, जाहिर है, ऐसा कोई निर्देश नहीं हो सकता है जारी किया जाए।

30. इसका परिणाम यह है कि अधिनियम के अधिनियमन से पहले

धारा 35 एए, यह कहना संभव हो सकता है कि जब बात किसी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक की हो

दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए, यह धारा 21 और 35 ए के तहत ऐसे निर्देश जारी कर सकता था। लेकिन धारा 35 एए के बाद, यह केवल धारा 35 एए के चार कोनों के भीतर ऐसा कर सकता है।

31. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। यदि कोई कानून किसी विशेष कार्य को करने की शक्ति प्रदान करता है और उस विधि को निर्धारित करता है जिसमें उस शक्ति को महान मुंबई (एम. सी. जी. एम.) का आई. सी. आई. पी. ए. एल. निगम होना चाहिए।

अभिलाष लाल और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रयोग में, यह अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए कार्य के अलावा किसी अन्य तरीके से कार्य करने को प्रतिबंधित करता है। यह है।

टेलर बनाम में प्रसिद्ध नियम। टेलर, [1875] 1 Ch. डी. 426, जिसका इस न्यायालय द्वारा बार-बार पालन किया गया है। इस प्रकार, यू. पी. राज्य बनाम सिंघारा सिंह (1964) 4 एस. सी. आर. 485, यह न्यायालय

आयोजित:

' टेलर बनाम में अपनाया गया नियम। टेलर [(1875) 1 Ch D 426,431] अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है। इसका परिणाम यह है कि यदि किसी क़ानून ने एक एक कार्य करने की शक्ति और उस विधि को निर्धारित किया है जिसमें

उस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, यह अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए कार्य के अलावा किसी अन्य तरीके से कार्य करने को प्रतिबंधित करता है। नियम के पीछे का सिद्धांत यह है कि यदि ऐसा नहीं होता, तो वैधानिक प्रावधान भी लागू नहीं किया गया होता। इसलिए, एक मजिस्ट्रेट, जांच के दौरान धारा 164 में निर्धारित तरीके के अलावा एक स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं कर सकता है। स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति स्पष्ट रूप से दी गई थी ताकि

स्वीकारोक्ति को उसके किए गए अभिलेख से साबित किया जा सकता है निर्धारित तरीका। यदि अन्य माध्यमों से स्वीकारोक्ति का प्रमाण स्वीकार्य था, तो धारा का पूरा प्रावधान

164 इसके लिए इसमें निहित सुरक्षा उपायों सहित

अभियुक्त व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

नासमझ। धारा, इसलिए, प्रदान करके

मजिस्ट्रेट को बयान या स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति, आवश्यक निहितार्थ से, मजिस्ट्रेट को दिए गए बयानों या स्वीकारोक्ति का मौखिक साक्षय देने से प्रतिबंधित करती है।

उसे। (पीपी में। 490-491)

इस सिद्धांत का पालन करते हुए, इसलिए, यह स्पष्ट है कि भारतीय रिज़र्व बैंक

केवल बैंकिंग संस्थानों को इसके तहत जाने का निर्देश दे सकते हैं

दिवाला संहिता यदि दो पूर्ववर्ती शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है,

अर्थात्, (i) ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार का अधिकार है; और (ii) कि यह विशिष्ट चूक के संबंध में होना चाहिए। धारा, इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से,

इस शक्ति को किसी भी तरह से प्रयोग करने से रोकता है।

धारा 35 एए में निर्धारित तरीके के अलावा।

47. इस अदालत की राय में, धारा 238 को एमसीजीएम के अधिकार का समर्थन करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है-वास्तव में इसका सार्वजनिक कर्तव्य-कि इसकी संपत्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। यह धारा [2019] 14 एस. सी. आर. में मौजूद है।

92 और एम. एम. सी. अधिनियम का 92 ए। इस अदालत की राय है कि धारा 238 तब महत्वपूर्ण हो सकती है जब संपत्ति और परिसंपत्तियां देनदार की हों, न कि जब एमसीजीएम जैसा कोई तीसरा पक्ष शामिल हो। इसलिए, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 92 और 92 ए के संदर्भ में अनुमोदन के अभाव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एम. सी. जी. एम. की आपत्तियों को खारिज नहीं कर सकता था और इसकी संपत्तियों और भूमि के संबंध में एक नए हित के निर्माण को सक्षम कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाधान योजना एमसीजीएम की मंजूरी लेने की बात करती है; वे कॉर्पोरेट देनदार की देनदारियों को भी स्वीकार करते हैं; समान रूप से, हालांकि, ऐसे प्रस्ताव हैं जो एमसीजीएम की संपत्तियों के संबंध में शुल्क या प्रतिभूतियों के निर्माण की कल्पना करते हैं। फिर भी, संहिता के तहत अधिकारी उस नियंत्रण को रोक नहीं सकते थे जो एमसीजीएम के पास निस्संदेह कानून के तहत अपनी संपत्तियों और विचाराधीन भूमि से निपटने के लिए है-जो निर्विवाद रूप से सार्वजनिक संपत्तियां हैं। इसलिए समाधान योजना, एम. सी. जी. एम. की स्वतंत्र योजनाओं के लिए एक गंभीर बाधा होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उनकी पसंद के अनुसार विकसित किया जाए, और जिसके लिए उस निगम (एम. सी. जी. एम.) द्वारा तैयार की गई एक अलग योजना के लिए एम. एम. सी. अधिनियम के तहत नई मंजूरी मिल सकती है। 48. प्रत्यर्थियों का अंतिम तर्क, कि एमसीजीएम इस अदालत की राय में अपने वकील द्वारा दिए गए बयान से बंधा था, प्रबल नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया था, कानून के अनुसार योजना के लिए कोई मंजूरी नहीं है; ऐसी परिस्थितियों में, एक वकील या अन्य प्रतिनिधि द्वारा योजना को स्वीकार करने वाली लिखित याचिका, जिसके पास एमसीजीएम को बांधने की शक्ति नहीं है, अनिर्णायक है। इस संबंध में, न्यायालय इस सर्वविदित सिद्धांत पर ध्यान देता है कि कानून के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। (रेफ. कासिंका ट्रेडिंग बनाम। भारत संघ (1995) 1 एस. सी. सी. 274, दर्शन ऑयल (पी) लिमिटेड बनाम। भारतीय संघ (1995) 1 एस. सी. सी. 345, श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम। भारत संघ

(1997) 3 एस. सी. सी. 398, श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 193, पप्पु स्वीट्स एंड बिस्किट्स बनाम। कॉम. व्यापार कर, यू. पी. (1998) 7 एस. सी. सी. 228 और कम. सीमा शुल्क बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एससीसी 1.)

49. पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत का मानना है कि एन. सी. एल. टी. का विवादित आदेश और आदेश कायम नहीं रह सकते हैं; वे हैं -

एतद्द्वारा अलग रखें। अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है, बिना आदेश के लागतें।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे